संख्या : 4323 / 1–10–2011–14(23) / 04 टी0सी0– III

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक 19 दिसम्बर, 2011

विषय :वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) की दो बटालियन हेतु उपकरण क्रय के लिये धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव गृह के पत्र संख्या–1043 / 6–पु–11–1100(85) / 2010 दिनांक 17.08.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में लिये गये निर्णयानुसार स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) की दो बटालियन हेतु उपकरण क्रय के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में फ्लड पी0ए0सी0 की एक बटालियन न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट एंव एक बटालियन भूकंप के समय बचाव कार्य हेतु उपकरणों से सुसज्जित किये जाने हेतु रू0 4,00,00,000 / –(रूपये चार करोड़ मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ0प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

4. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

5. उपकरणों के क्रय किये जाने में शासकीय एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विशिष्ट प्रकार के उपकरणों के क्रय से पूर्व राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत विशेषज्ञ organisation का परामर्श भी प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार के उपकरणों के उपयोग हेतु कर्मियों का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपकरणों के सही रख–रखाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

6. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :4323 (1)/1–10–2011–14(23)/04 टी0सी0–।।तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–पुलिस महानिदेशक पी0ए0सी0 मुख्यालय, लखनऊ
3–मण्डलायुक्त, लखनऊ
4–अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ
5–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
6–वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त ।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 ।
9–समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

आज्ञा से,
(नेकपाल वर्मा)
उप सचिव।